राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांकः प.21(19)शिक्षा–1/प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 19.10.2012

परिपत्र :

**विषयः**–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय शिक्षा अधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के संदर्भ में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. **25 प्रतिशत सीट पर लिए गए प्रवेश का सत्यापनः**– 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश का कार्य प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक गैर-सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी संस्थाओं के मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपने–अपने क्षेत्राधिकार में सम्पन्न किया जाएगा।
2. **आय प्रमाण पत्र के संबंध में:**– राज्य सरकार ने आम नागरियों को सुविधा की दृष्टि से आय प्रमाण –पत्र के संबध में एक सरलीकृत प्रकिया अपनाई है। इसके अनुसार आय प्रमाण–पत्र के लिए माता–पिता/अभिभावक को कोई भी दो उत्तरदायी व्यक्तियों (संसद/ वार्ड पंच/महापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/नगरपालिका सदस्य/ राजकीय अधिकारी/कर्मचारी होगें) की साक्षी के आधार पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह शपथ पत्र बालक के प्रवेश दिए जाने वाले दिनांक के पूर्व के वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) की आय के संबंध में होगा। इस शपथ पत्र के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत "असुविधाग्रस्त समूह" एवं "कमजोर वर्ग" के बालकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश दिया जाएगा।
3. **रिक्त सीट को भरनाः**– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत संबधित विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए घोषित सीट यदि रिक्त है तो वे रिक्त ही रहेगी। उन पर अन्य वर्गों के बालकों का प्रवेश नहीं होगा। विद्यालयों को पाबन्द किया जाए कि आगामी सत्रों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीट पर समय रहते व्यापक प्रचार–प्रसार कर विद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश तिथि तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रवेश देनाः**– यदि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 25 प्रतिशत सीट के विरूद्ध प्रवेश देना चाहे तो ऐसा करना निजी विद्यालयों में अधिनियम के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण बालकों के शैक्षिक स्तर की दृष्टि से उचित नहीं होगा। इस प्रकार प्रवेश किए गए बालक अन्य छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जायेंगें तथा उनके ड्रॅाप आउट होने की सम्भावना बढ़ जाएगी। अतः विद्यालयों को इस बात के लिए पाबन्द किया जावे कि नियमित प्रवेश के समय पूर्ण प्रयास कर 25 प्रतिशत सीट पर पात्र बालकों को ही प्रवेश देवें।

उक्त दिशा–निर्देश सभी संबंधित पक्षों को पालनार्थ प्रसारित किए जाते हैं।

ह0–
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/वी.वे.अपडेशन/वी.सी./18861/11–12/77 दिनांकः– 7-11-12

**प्रतिलिपिः**–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों से उक्त दिशा निर्देशों की पालना करावें।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सम्पादक शिविरा पत्रिका–7 प्रतियों में प्रकाशनार्थ।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक